न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस

मुकदमा न0 राजस्व प्रकरण 347 / 2022

प्रार्थी :–

1. मोहनराम पुत्र तेजाराम कौम भील निवासी चांदना भाखर जोधपुर हाल टापरा, तहसील पचपदरा, जिला बाडमेर।

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. माणकराम पुत्र देवाराम जाति भील निवासी दुधईवा तह0 पोकरण जिला जैसलमेर ।
2. मोनीदेवी पत्नी छगनाराम
3. शान्तिदेवी पत्नी पेमाराम
4. भंवराराम पुत्र कानाराम
5. मोहनराम पुत्र सकाराम
6. पूराराम पुत्र उदाराम
7. भलाराम पुत्र उदाराम
8. देवाराम पुत्र हरजीराम
9. नेनाराम पुत्र हरजीराम
10. भगाराम पुत्र हरजीराम
11. वोताराम पुत्र हरजीराम सभी जातियान कलबी निवासी टापरा
12. किशनसिंह पुत्र नाथूसिंह
13. छैलसिंह पुत्र प्रेमसिंह
14. जालमसिंह पुत्र शिवनाथसिंह
15. धर्मसिंह पुत्र प्रेमसिंह
16. पदमसिंह पुत्र प्रेमसिंह
17. माधूसिंह पुत्र शिवनाथसिंह
18. मिठूसिंह पुत्र प्रेमसिंह जाति राजपूत नि[illegible]
19. गोकलराम पुत्र सोनाराम
20. जैरूपराम पुत्र मोटाराम
21. तेजाराम पुत्र जगनाराम
22. थानाराम पुत्र उम्मेदाराम
23. दीपाराम पुत्र सुजानाराम
24. नेमाराम पुत्र उम्मेदाराम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.04.17 21:06:02 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

25. भुराराम पुत्र अचलाराम
26. मोडाराम पुत्र अनाराम
27. रूगनाथराम पुत्र मोटाराम
28. रूगनाथ पुत्र जगनाराम
29. रणछोडराम पुत्र जगनाराम
30. लालाराम पुत्र सोनाराम
31. लिखमाराम पुत्र उम्मेदाराम
32. सुराराम पुत्र सुजानाराम
33. वोताराम पुत्र सोनाराम सभी जातियान कलबी निवासी टापरा
34. ग्राम पंचायत टापरा जरिये सरपंच ग्राम पचांयत टापरा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।
35. राजस्थान सरकार भू, धारक जरिये तहसीलदार पचपदरा।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 रा0भू रा0 अधि0 बाबत पत्थरगढी व नेखमबंदी करवाने हेतु</u>

उपस्थित :–

1. श्री पूनमाराम चौधरी, प्रार्थी अधिवक्ता
2. विप्रार्थी संख्या 1 से 34 एक पक्षीय

<u>'आदेश</u>   दिनांक :– 31.03.2023

संक्षेप मे आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत सरहद मौजा टापरा पटवार क्षेत्र टापरा भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जसोल खसरा संख्या 1267/448 रकबा 27 बीघा 13 विस्वा 4.4758 हैक्टयर खसरा किस्म बा.अ खसरा संख्या 1286/448 रकबा 0.06 बीघा में अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा कश्त चला आ रहा है, प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भू[illegible] को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है और आये दिन [illegible] पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा ग्राम मौजा [illegible] पटवार क्षेत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.04.17 21:06:02 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

टापरा भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जसोल खसरा संख्या 1267 / 448 रकबा 27 बीघा 13 विस्वा 4.4758 हैक्टयर खसरा किस्म बा.अ खसरा संख्या 1286 / 448 रकबा 0.06 बीघा टापरा पटवार क्षेत्र टापरा भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जसोल खसरा संख्या 1267 / 448 रकबा 27 बीघा 13 विस्वा 4.4758 हैक्टयर खसरा किस्म बा.अ खसरा संख्या 1286 / 448 रकबा 0.06 बीघा की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है ।

प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया । विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया । विप्रार्थी संख्या 1 से 34 के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी संख्या 1 से 34 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नही होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गया। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी की कृषि भूमि ग्राम मौजा टापरा पटवार क्षेत्र टापरा भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जसोल खसरा संख्या 1267 / 448 रकबा 27 बीघा 13 विस्वा 4.4758 हैक्टयर खसरा किस्म बा.अ खसरा संख्या 1286 / 448 रकबा 0.06 बीघा गैर मुमकिन आई हुई है । जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी संख्या 1 से 34 की भूमि आई हुई है, वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थी संख्या 1 से 34 द्वारा दखलअन्दाजी की जाती है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है, और प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है , और आये दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है, इस कारण प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम टापरा पटवार क्षेत्र टापरा भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जसोल खसरा संख्या 1267 / 448 रकबा 27 बीघा 13 विस्वा 4.4758 हैक्टयर खसरा किस्म बा.अ खसरा संख्या 1286 / 448 रकबा 0.06 बीघा गैर मुमकिन भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.04.17 21:06:02 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

हमने वकील प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात सीमाज्ञान फर्द का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया । जिसमे पाया कि मौजा टापरा पटवार क्षेत्र टापरा भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जसोल खसरा संख्या 1267/448 रकबा 27 बीघा 13 विस्वा 4.4758 हैक्टयर खसरा किस्म बा.अ खसरा संख्या 1286/448 रकबा 0.06 बीघा गैर मु0 भूमि प्रार्थी की खातेदारी मे दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न जमाबंदी नकल की संवत 2079–2082 व नक्शा ट्रेस का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है, और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसका प्रार्थी हकदार भी है । विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 34 को बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नही हुए है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है । लिहाजा प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर टापरा पटवार क्षेत्र टापरा भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जसोल खसरा संख्या 1267/448 रकबा 27 बीघा 13 विस्वा 4.4758 हैक्टयर खसरा किस्म बा.अ खसरा संख्या 1286/448 रकबा 0.06 बीघा गैर मुमकिन भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबदी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को कमिश्नर नियुक्त किया जता है, उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 से 34 को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे । कमिश्नर फीस 1500/– प्रार्थी मौके पर अदा करेगे। आवश्यकता होने पर पुलिस ईमदाद प्राप्त कर सकते है पालना रिपोर्ट पेश होने पर शामिल मिसल हो ।

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

आज दिनांक 31.03. 2023 को आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उप खण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.04.17 21:06:02 IST
Reason: SelfAttested